कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 अल्मोड़ा

फोन/फैक्स न0–05962–233732 Email ID-eepmgsyalmora1@rediffmail.com

पत्रांक–1446/वन भूमि दिनांक–20/10/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 16 के अन्तर्गत बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/37559/2018) के निर्माण हेतु 2.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 16 के अन्तर्गत बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु आपको प्रेषित की जा रही हैं।

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण–** **क)** वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण पर 4.550 हे0 अवनत वन भूमि पनुवानौला कं0सं0 53 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचे। **ख)** वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 4.550 हे0 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु0 1534187.00 (पंन्द्रह लाख चौंतीस हजार एक सौ सतासी रुपये मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की चुकी है। (प्रति संलग्न)। वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कायों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	संलग्न हैं।

5	**शुद्व वर्तमान मूल्य** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या– 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1996 एफसी (PL 2) दिनांक 18.09. 2003, 5–2/2008 एफसी दिनांक 03.10.2006 एवं	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु0 1534187.00 (पंन्द्रह लाख चौंतीस हजार एक सौ सतासी रुपये मात्र) एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 1922375.00 (उन्नीस लाख बाईस हजार तीन सौ पछहत्तर रुपये मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रु0 3456562.00 (चौंतीस लाख छप्पन हजार पॉच सौ बासठ रुपये मात्र) ऑनलाइन चालान के

	5-3/2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.275 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्याबर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की चुकी है। (प्रति संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 155 से अधिक नहीं होगी। एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएंगे।	–
8	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	–
9	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and conmmeencement of work before stage II Approval as per guidelines para 11.2 This state Govt. will strictly monitor and ensure that no further ctivity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
10	एफआरए, 2005 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला क्लेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।

19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातंरित नही की जाएगी।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्ल्धंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या'–11–42/2017–FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचा न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों की राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्ताव ई–पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

प्रतिलिपि :–

1.अधीक्षण अभियन्ता महोदय पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.जिलाधिकारी महोदया अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.वनाधिकारी यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4.सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि वचनबद्वता प्रमाण पत्रों की शर्तानुसार कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
अल्मोड़ा

वचनबद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग कुल लम्बाई–7.50 किमी0 (4.550 हे0) में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड पी एम जी एस वाई
अल्मोड़ा

वचनबद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग कुल लम्बाई—7.50 किमी0 (4.550 हे0) हेतु एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होने पर विभाग/एजेन्सी द्वारा बढ़ी दरो पर एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी० एम० जी० एस० वाई०
अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग कुल लम्बाई–7.50 किमी0 (4.550 हे0) के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

वचनबद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है विभाग/एजेन्सी द्वारा बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग के कार्य में कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति से बचाया जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है विभाग/एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा का परियोजना लागत से भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई.
अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है विभाग/एजेन्सी द्वारा बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, डी०एस०जी०एल०ई०
अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये गये वनभूमि का प्रयोग अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

वचनबद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड पी.एम.जी.एस.वाई.
अल्मोड़ा

वचनबद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते मान्य होगी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०
अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है खेला से बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान ऊत्सर्जित मलवे का निस्तारण निर्दिष्ट/डम्पिंग स्थानों के अलवा अन्यत्र नही किया जाएगा। तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जाएगी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड पी.एम.जी.एस.वाई.
अल्मोड़ा

वचनबद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग में प्रस्तावित वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो विभाग/एजेन्सी द्वारा उनके अधीन आवश्यक अनुमति ली जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग/एजेन्सी द्वारा संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जायेंगे।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०
अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान परिवर्तित नही किया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई.
अल्मोड़ा

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 1695 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 22/10/2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई,
अल्मोड़ा।

विषयः-- जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत बसौलीखान--चमतोला मोटर रोड से नयालचूरा मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या-- 37559/2018) हेतु डिमांड नोट।

संदर्भः-- आपकी पत्र संख्या--1260/3 सी(अ0प्र0) दिनांक 17--10--2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	2.275 है0 ईको क्लॉस 5 घनत्व 0.4	845000.00 प्रति है0	1922375.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	4.55 है0	337184.00	1534187.00
3	परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना	--	--	--
4	प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	--	--	--
5	100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	--	--	--

अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑनलाईन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार अन्य शर्तों का भी अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-01-2021

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6137559869
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/82/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PMGSY IRRIGATION DIVISION PWD ALMORAAlmora
Amount(in Rs)	3456562/-

Amount in Words :Thirty-Four Lakh Fifty-Six Thousand Five Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-01-2021

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6137559869
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/82/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PMGSY IRRIGATION DIVISION PWD ALMORA Almora
Amount(in Rs)	3456562/-

Amount in Words :Thirty-Four Lakh Fifty-Six Thousand Five Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com**